Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बाड़मेर में पटवारी 3 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *18 सितम्बर, सोमवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बाड़मेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये उदाराम, पटवारी पटवार मण्डल निम्बला, तहसील शिव, जिला बाड़मेर को परिवादी से 3 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की बाड़मेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि संयुक्त जमाबंदी में केसीसी लोन में बैंक के नाम को सही करने एवं पूर्व में भरे गये दो म्यूटेशनों की एवज में उदाराम, पटवारी पटवार मण्डल निम्बला, तहसील शिव, जिला बाड़मेर द्वारा **3 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरवीजन में एसीबी बाड़मेर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री संग्राम सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर उनके द्वारा मय टीम के आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये उदाराम पुत्र श्री मगाराम निवासी फतेहनाड़ा, ग्राम पंचायत बलाई, तहसील शिवत जिला बाड़मेर हाल पटवारी पटवार मण्डल निम्बला, तहसील शिव, जिला बाड़मेर को परिवादी से **3 हजार रुपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।